न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2026(GCMS 2026/23)
(RTI No. 212695608967699)

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह वार्ड नं. 24, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 88750–89377)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2025 से उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 में न्यायिक भवन बेसमैंट व G+3, 4 मंजिल का निर्माण बिना निर्माण स्वीकृति के कन्नक प्राइवेट कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। उसको रोके जाने बाबत दिनांक 29.09.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अवगत करवाया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। श्रीमानजी बिना निर्माण स्वीकृति बन रहा न्यायिक भवन, बेसमैंट G+3, 4 मंजिल के अवैध निर्माण को रोके जाने बाबत आप द्वारा जो कार्यवाही की गई, उसकी प्रमाणित प्रति दी जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:39 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक आर.टी.आई./2026/103 दिनांक 20.02.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित की है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील RTI 12/2026 (GCMS No. 2026/23)
नक्षत्र सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर
(RTI No. 212695608967699)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09.10.2025 मय भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 70एफ 165341 के प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी (आवेदन की प्रति संलग्न है।) उक्त आवेदन में वांछित सूचना क्रम में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.का.अ./2025/729 दिनांक 17.11.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जाकर सूचित किया जा चुका है। सुलभ सूचना हेतु प्रति संलग्न है। इस कार्यालय स्तर से आवेदक के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.10.2025 के क्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। अतः प्रतिवेदन मय संलग्नक प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक RTI/2026/103 दिनांक 20.02.2026 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है, इसलिए इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:39 IST
Reason: SelfAttested

(अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर